सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 14.07.2024

सोशल मीडिया पर हिन्दु देवता गणेश जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण **सोशल माडिया सेल** एवं **थाना बलरई पुलिस** द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 13.07.2024 को सोशल मीडिया सेल इटावा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान 01 व्यक्ति का इन्सटाग्राम पर हिन्दू देवता गणेश जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी का विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। जिसके संबंध में इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त कर घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सोशल माडिया सेल द्वारा थाना बलरई को अवगत कराया गया। सूचना पर कार्यवाही करते हुये थाना बलरई पर **मु0अ0स0 36/24 धारा 299 बीएनएस व धारा 67 आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 14.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना बलरई पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी, इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **अभियुक्त विमल कुमार पुत्र रामखिलाडी को गदोखर चौराहा से समय 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विमल कुमार पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम तुलसीनगर बाउथ थाना बलरई जनपद इटावा उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 36/24 धारा 299 बीएनएस व धारा 67 आईटी एक्ट थाना बलरई जनपद इटावा।

पुलिस टीम-

प्रथम टीम:- उ0नि0 श्री यशोदा रानी प्रभारी सोशल मीडिया सेल, का0 अभय शुक्ला, का0 अमन चौधरी, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 राहुल प्रजापति, का0 नीरज पाल।

द्वितीय टीम:- थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार मिश्रा थाना बलरई,उ0नि0 रामकृपाल सिंह , का0 अमित कुमार शर्मा।